अधिसूचना सं. एस.ओ. 92 (ई) [सं.41/2015 (एफ.सं.वी.27015/3/2014-एस.ओ. (NAT.COM))], दिनांक 6-1-2015

जबकि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या एस.ओ. जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग की व्याख्या के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1111(ई) दिनांक 8 अगस्त, 2005 द्वारा केंद्र सरकार ने क्रम संख्या 2 पर, ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन, जगदीश चौक, सूरदास मार्ग, वस्त्रपुर, अहमदाबाद - 380015, गुजरात द्वारा "नेत्रहीन और दिव्यांगों के लिए व्यापक पुनर्वास, चिकित्सा और मानव संसाधन विकास सेवाएं" की योजना को रु. 2.50 करोड़ की अनुमानित लागत पर वित्त वर्ष 2005-2006 से प्रारंभ होकर तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना या योजना के रूप में अधिसूचित किया था; जिसे अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2394(ई) दिनांक 3 अक्टूबर, 2008 के अंतर्गत वित्त वर्ष 2008-09 से प्रारंभ होकर तीन वर्ष की और अवधि के लिए विस्तार दिया गया था; और जिसे अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2885 दिनांक 27/12/2011 के अंतर्गत तीन और वित्त वर्षों अर्थात् 2011-12, 2012-13 और 2013-14 की अवधि के लिए और विस्तार किया गया था;

और जबकि अधिसूचना संख्या 2394(ई) दिनांक 3 अक्टूबर, 2008 द्वारा अनुमानित लागत को रु.2.50 करोड़ से बढ़ाकर रु. 6.00 करोड़ किया गया था; और जिसे अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2885 दिनांक 27/12/2011 के अंतर्गत रु. 6.00 करोड़ से बढ़ाकर रु. 11.00 करोड़ और किया गया;

और जबकि उक्त परियोजना या योजना नौ वर्ष से अधिक बढ़ने की संभावना है;

और, जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण संवर्धन की राष्ट्रीय समिति, इस बात से संतुष्ट होकर कि उक्त परियोजना या योजना उचित रूप से क्रियान्वित की जा रही है, ने आयकर नियम, 1962 के नियम 11छ के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना या योजना को तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए विस्तृत करने की अतिरिक्त सिफारिश की है।

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग की व्याख्या के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन, जगदीश चौक, सूरदास मार्ग, वस्त्रपुर, अहमदाबाद - 380015, गुजरात द्वारा की जा रही "नेत्रहीन और दिव्यांगों के लिए व्यापक पुनर्वास, चिकित्सा और मानव संसाधन विकास सेवाएं" की योजना या परियोजना को रु. 11.00 करोड़ की स्वीकृत लागत में बिना किसी परिवर्तन के, वित्त वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होकर तीन वर्ष की और अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए अधिसूचित करती है।

■■